-प्रेस नोट-

दिनांक: 28-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ महिला से चैन स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार , कब्जे से अवैध अस्लाह , घटना में प्रयुक्त 01 एक्टिवा स्कूटी व 16,500/- रुपये नगद बरामद

बरामदगी-

- **महिला से लूटी गयी पीली धातु की आधी चैन को बेचकर प्राप्त16,500/- रुपये नगद।**
- **01 तमंचा .12 बोर**
- **01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .12 बोर**
- **02 चाकू नाजायज**
- **01 एक्टिवा स्कूटी (UP11BP-0963) (घटना में प्रयुक्त)**

अवगत कराना है कि दिनांक 11.06.2024 को वादिया अनीता सिंघल पत्नी वीरेंद्र कुमार सिंघल निवासी कृष्णा नगर, स्टेट बैंक वाली गली, चिलकाना रोड थाना मण्डी, सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत दो अज्ञात युवको द्वारा वादिया के गले से पीली धातु की चैन को झपट्टा मारकर लूटने व अपने एक अन्य साथी के साथ स्कूटी पर फरार होने के संबंध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0- 249/2024 धारा 392 भादवि बनाम 03 अभियुक्त अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर महिला से चैन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा -निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री नेमचन्द के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.06.2024 को मुखबिर खास द्वारा यह सूचना मिली की शक्ला पुरी रोड पर रजवाहे की पटरी के पास बन्द पडे मकान के पीछे चैन स्नैचिंग करने वाले तीन अभियुक्त अवैध अस्लाह के दिखायी दिये। इस सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम जैसे ही शक्ला पुरी रोड पर रजवाहे की पटरी के पास बन्द पड़े मकान के पास पहुँची तो बदमाशों द्वारा पुलिस को अपने नजदीक आता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा घेर घौटकर तीनों शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया। जिनकी पहचान 1. शाजेब पुत्र सईद अहमद ,नि0 मण्डी समिति रोड, मसूर पैलेस के बराबर वाली गली थाना मण्डी जिला सहारनपुर, 2. उवेश उर्फ पिचकन पुत्र मास्टर ताहसीन ,निवासी मैसूर पैलेस के पास गली नम्बर 1 थाना मण्डी जिला सहारनपुर, 3. अनस पुत्र इरशाद निवासी आली का मौहल्ला तेलियो वाला चौक निकट चाँद हकीम की दुकान थाना मण्डी सहारनपुर के रुप में हुआ। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में महिला से लूटी गयी आधी चैन को बेचकर मिले 16,500/- रुपये नगद, 01 तमंचा नाजयाज .12 बोर, 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .12 बोर , 02 चाकू नाजायज तथा घटना में प्रयुक्त 01 एक्टिवा स्कूटी

बरामद हुई। पुलिस टीम पर फायरिंग करने व अवैध अस्लाह बरामदगी के संबंध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 307/34 भादवि व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 23.06.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बड़तला यादगर में एक महिला से चैन स्नैचिंग का प्रयास किया गया, जिसमें महिला जमीन पर गिर गई व महिला के शोर मचाने पर आमजनमानस के आने जाने के डर से महिला को वहीं छोडकर भाग गये थे जिसके संबंध में दिनांक 24.06.2024 को थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 150/2024 धारा 393/323 भादवि पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर तीनों गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम तीनो कम पढे लिख हैं व लकडी मरम्मत का कार्य करते हैं। हम तीनों को अक्सर पैसो की कमी रहती है।हम तीनो ने दिनाँक 11.06.2024 को रात में 10.00 बजे करीब पुराने कलसिया रोड पर कृष्णा नगर से एक महिला के गले से झपट्टा मारकर सोने की चैन लूटी थी जिसे हमने सहारनपुर मे ही एक राह चलते व्यक्ति को रूपये 16500/- रुपये में बेच दिया था । जब हम तीन शक्लापुरी रोड पर रजवाहे की पटरी के पास बन्द पड़े मकान के पीछे पैसो का बँटवारा करने गये तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ गई। हम तीनो ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी लेकिन पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया। जो 16500/- रुपये पुलिस द्वारा हमसे बरामद किये गये हैं वो रुपये हमने दिनांक 11.06.2024 को महिला के गले से लूटी आधी पीली धातु की चैन को बेचकर प्राप्त किये थे। इसके पहले हम तीनो ने दिनाँक 23.06.2024 को बडतला यादगार, थाना कोतवाली नगर में सुबह करीब 8.00 बजे एक महिला के गले से चैन छिनने के लिये झपट्टा मारा था,झपट्टे मारते ही वह महिला सडक पर गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी। पब्लिक के आने के डर से हम महिला को वही छोडकर भाग गये थे। कुछ दिन पहले अपने कई जगह महिलाओं से चैन छिनने का प्रयास किया लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाये। अभियुक्त के पास खडी स्कूटी जिसके पीछे नम्बर प्लेट पर लिखा है। इसके बारे मे पूछा तो तीनो ने बताया कि यह स्कूटी साजेब की है और हम तीनो ने जो भी घटना कारित की है और करने की कोशिश की है,इसी स्कूटी का प्रयोग किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. शाजेब पुत्र सईद अहमद ,निवासी मण्डी समिति रोड, मसूर पैलेस के बराबर वाली गली थाना मण्डी जिला सहारनपुर
2. उवेश उर्फ पिचकन पुत्र मास्टर ताहसीन ,निवासी मैसूर पैलेस के पास गली नम्बर 1 थाना मण्डी जिला सहारनपुर
3. अनस पुत्र इरशाद निवासी आली का मौहल्ला तेलियो वाला चौक निकट चाँद हकीम की दुकान थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 150/24 धारा 393/323 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 249/2024 धारा 392/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 250/24 धारा 307/34 भादवि व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- महिला से लूटी गयी आधी पीली धातु की चैन को बेचकर प्राप्त 16,500/- रुपये नगद।
- 01 तमंचा .12 बोर
- 01 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .12 बोर
- 02 चाकू नाजायज
- 01 एक्टिवा स्कूटी (UP 11 BP 0963) (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 717 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
7. का0 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 28.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा खेतो में लगी ट्यूबवैल की मोटर से तांबे का तार चोरी करने वाले 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 04 किलो 150 ग्राम तांबे का तार, मोटर खोलने के उपकरण एंव 1000/- रूपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.06.2024 को वादी प्रदीप कुमार पुत्र सुबे सिह निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबंद सहारनपुर व दिनांक 22.06.2024 को वादी श्री मुकेश कुमार त्यागी पुत्र हरिवंश त्यागी निवासी ग्राम कुर्डी थाना देवबंद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादियों के खेत से टूबवैल की मोटर के तार चोरी कर लेने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 320/24 धारा 380 भादवि व मु0अ0स0 324/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर खेतों में लगी ट्यूबवैल की मोटर से तार चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 04 शातिर चोर 1. नदीम पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर 2. सफीक पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर 3. जाबिर पुत्र रागिब निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर 4. कामरान पुत्र कामिल निवासी मौ0 मटकोटा कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर ग्राम भायला बंडगांव रोड की नहर पुलिया के पास से गिफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी गए 04 किलोग्राम 150 ग्राम तांबे का तार व मोटर खोलने के उपकरण तथा 01 हथोड़ा बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम चारों कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हमें अक्सर पैसो की तंगी रहती है। हम सभी मिलकर खेतो में लगी ट्यूबवैल से तांबे का तार चोरी कर आसपास के क्षेत्रों में बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। अभियुक्त नदीम ने बताया कि मैं व सफीक,जाबिर व कामरान के साथ मिलकर रात्रि में किसानो की टयूबैल से बिजली मोटर व मोटर का तांबे का तार चोरी कर लेते है। हम पांचो ने करीब दो माह पहले ग्राम कुरडी के जंगल में रजवाहे की पटरी के पास एक टयूबैल में चोरी की थी जिसका सामान कामरान व महताब के पास है और कुछ तार हमने चलते फिरते कबाडी को दो दिन पहले 2000/- रुपये में बेच दिया था जिसमें से 1000 रु खाने पीने में खर्च हो गये है। 1000/- रुपये मेरे बचे थे जो पुलिस ने मुझसे बरामद कर लिये हैं। हम चारो ने मिलकर दिनांक 16.06.2024 व दिनांक 20.06.2024 को ग्राम भायला के जंगल कुरडी वाले रास्ते पर खेतों से टयूबवैलों की मोटर निकालकर उसके अन्दर का सामान चोरी किया था। चोरी किये सामान को हमने जगंल में छिपा दिया था जिसमें से काफी तार इमरान व महताब के पास है तथा कुछ तार हमने कामरान को उसकी दुकान में बेचा था जिसको हमने पुलिस को बरामद करा दिया है।आज जब हम शेष तांबे के तार को बेचने जा रहे थे तो पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. नदीम पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2. सफीक पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3. जाबिर पुत्र रागिब निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगांव जिला सहारनपुर
4. कामरान पुत्र कामिल निवासी मौ0 मटकोटा कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगीः–

- तांबे के 4.15 किग्रा तार
- मोटर खोलने की सात छोटी बडी चाबी
- 04 छोटो बडे पान्ने
- 01 प्लास
- 01 पेचकस
- 01 आरी का ब्लेड
- 06 मीटर रस्सी
- 01 हथौडा बडा
- 01 सब्बल लोहा
- 01 छेनी
- तांबे के तार को बेचकर प्राप्त रुपये में से 1000/- रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अमनपाल सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0के0पी0सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0का0 931 प्रविन्दर सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. है0का0 358 जितेन्द्र सिंह, थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1103 रजनीश कुमार , थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
6. है0का0 981 निशान्त कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

दिनांक: 28.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 छुरा नाजायज व गौमांस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर गौकश **शोएब पुत्र सबदर निवासी ग्राम बुड्ढाखेड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम बुढ्ढाखेडा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 04 किलो 800 ग्राम गौमांस व 01 लोहे की तराजू तथा 01 छुरा नाजायज बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 254/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त न बताया कि मैं व मेरे दो अन्य साथी मिलकर गौकशी करते हैं। हम तीनो मिलकर जंगल में घूम रहे आवारा गौवंश को पकड़कर सुनसान जगंल मे ले जाकर काट देते है और मीट को आस पास के क्षेत्रों में बेच देते है जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है।

बरामदगी का विवरण -

- 04 किलो 800 ग्राम गौमांस
- 01 लोहे की तराजू
- 01 छुरा नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शोएब पुत्र सबदर नि0 ग्राम बुढ्ढाखेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 28-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल,सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी से छेडछाड के वांछित आरोपी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2024 को वादी ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त हिमाशू पुत्र फूल कुमार निवासी ग्राम मडकी थाना नागल जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी की नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करना व वादी के लडके द्वारा मना करने पर अभियुक्त उपरोक्त द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 162/24 धारा 354क/323/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे आज दिनाँक 28.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **हिमाशू पुत्र फूल कुमार निवासी ग्राम मडकी थाना नागल जिला सहारनपुर** को ग्राम मडकी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हिमाशू पुत्र फूल कुमार निवासी ग्राम मडकी थाना नागल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 असगर अली थाना नांगल जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0यूटी राखी शर्मा थाना नागंल जनपद सहारनपुर
4. है0का0 380 आजाद सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर